न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी– I, बलिया

जी0आर0न0– 1895/14

राज्य बनाम चंदन शर्मा

06/02/2020 अभियुक्त चंदन शर्मा की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता के द्वारा उपस्थिति पत्र एवं नवीन वकालत नामा के साथ एक जमानत आवेदन पत्र दाखिल कर जमानत पर मुक्त करने की प्रार्थना करते हैं। आवेदन की प्रति सहायक अभियोजन पदाधिकारी को दी गई। आवेदन को प्रचालित किया गया, अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक अभियुक्त निर्दोष हैं उन्होंने कोई संज्ञीय अपराध नहीं किया है तथा आवेदक इसके पूर्व किसी न्यायालय में जमानत संबंधी कोई आवेदन दाखिल नहीं किए हैं। यह कि अभियुक्त पूर्व जमानत पर थे। यह कि प्रस्तुत वाद आरोप गठन हेतु चला आ रहा था एवं इसी बीच अभिलेख का स्थानांतरण बेगूसराय न्यायालय से बलिया न्यायालय में हो गया जिसकी जानकारी अभियुक्त को नहीं थी एवं उचित पैरवी नहीं हो पा रहा था। यह कि अभियुक्त के द्वारा उचित पैरवी नहीं होने के कारण अभियुक्त का बंध पत्र दिनांक– 22/08/2019 को खंडित कर दिया गया। जैसे ही अभियुक्त वाद की जानकारी हुई स्वतः न्यायालय में आत्मसमर्पण किये। यह कि श्रीमान् का जो आदेश होगा उसका पालन करेगे। अतः अभियुक्त को जमानत पर मुक्त करने की कृपा की जाए।

अभियेाजन जमानत का विरोध करते हैं। सुना, सहायक अभियोजक पदाधिकारी को भी सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया, अवलोकन से प्रतीत होता है कि प्रस्तुत वाद आरोप गठन हेतु चला आ रहा था एवं इसी बीच अभिलेख का स्थानांतरण बेगूसराय न्यायालय से बलिया न्यायालय में हो गया जिसकी जानकारी अभियुक्त को नहीं थी एवं उचित पैरवी नहीं हो पा रहा था। यह कि अभियुक्त पूर्व जमानत पर थे। यह कि अभियुक्त को जैसे ही जानकारी हुई आज न्यायालय में उपस्थित होकर जमानत की प्रार्थना करते हैं। अतः उपस्थित अभियुक्त को इस शर्त पर की वाद का आरोप गठन तक प्रत्येक तिथि को न्यायालय में स :देह उपस्थित रहेगे एवं मो0 (5,000) के दो जमानत दारो का बंध पत्र दाखिल करने पर जमानत पर मुक्त होने का आदेश दिया जाता है।

लेखापित

अ0 मुख्य0 न्या0 दंडा–I, बलिया

तत्पश्चात

06/02/2020 उपरोक्त आदेशानुसार अभियुक्त चंदन शर्मा, की ओर से मांगे गए रकम का बंध पत्र एवं वचन बद्धता दाखिल किया गया। जिसे जांचोपरांत सही पाकर ..... किया जाता है। अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा से मुक्त किया जाता है।

लेखापित

अ0 मुख्य0 न्या0 दंडा–I, बलिया